न्यायालय सहायक कलेक्टर आनन्दपुरी राजस्व लोक अदालत कैम्प उदयपुरा बड़ा बांसवाड़ा (राज)

अन्तर्गत धारा 88,209 रा.का.अ.

पीठासीन अधिकारी चांदमल वर्मा आर.ए.एस

प्रकरण सं. 150 / 2006

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी कमलाशंकर जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी ।

वादीगण

बनाम

1. भूरिया पिता वखता जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
2. कचरू पिता भुरीया जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
3. प्रकाश पिता भुरीया जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
4. थावरा पिता लालजी जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
5. धुलिया पिता वखता जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
6. नाथा पिता थावरा जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
7. जगजीवन राम पिता नाथा जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
8. चम्पा पिता धुलीया जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
9. जयन्तिलाल पिता हलीया जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
10. रूपा पिता प्रताप जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
11. लालसींह पिता रूपा जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
12. रामा पिता प्रताप जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
13. लालजी पिता रूपा जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी
14. देवसी पिता भुरीया जाति भील निवासी ओबला तहसील आनन्दपुरी ।

प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 15.07.2015

वादीया ने वाद विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य के खाते सर्वे नम्बर 875 रकबा 0.16 व सर्वे नम्बर 876 रकबा 3 हैक्टर स्थित ग्राम ओबला तहसील आनन्दपुरी जिला बाँसवाड़ा , मे होकर वादीया के एक मात्र स्वामित्व व आधिपत्य खेत है तथा वादीया ने उक्त खेत जरीये रजिस्टर्ड क्रय प्रत्र द्वारा दिनांक 01.04.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है व राज्य सरकार में लगान जमा कराती है तथा वादीया का कल्टीवेटर घोषित है।

यह कि वादीया उक्त खेत मे बरसात कि फसल हेतु सर्वे नम्बर 875 रबा 0.16 व सर्वे नम्बर 876 रकबा 3 हैक्टर खेत की सफाई लगभग 20 25 दिन पूर्व कर रही थी तब प्रतिवादीगण ने वादीया के साथ झगड़ा फसाद किया तथा वादीया को धमकी दी कि खेत [illegible] अगर तुम [illegible] आओगी हम तुमको भविष्य मे शांति पूर्वक [illegible] [illegible] प्रतिवादीगण ने वादीया के साथ मे [illegible]

COPY ATTESTED

Scanned by CamScanner